न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 110/2022 जिला सीकर

1. दीपाराम पुत्र स्व. श्री मुकन्दाराम, उम्र 60 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम रूल्याणी, तहसील नेछवा, जिला सीकर, राजस्थान।
2. भगवानाराम पुत्र स्व. श्री मुकन्दाराम, उम्र 65 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम कल्याणी, तहसील नेछवा, जिला सीकर राजस्थान।
3. भँवरा राम पुत्र स्व. मुकन्दाराम, उम्र 70 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम रूल्याणी, तहसील नेछवा, जिला सीकर राजस्थान।

—अपीलान्टस

बनाम

1. भूमी धारक जरिये तहसीलदार नेछवा, जिला सीकर ।
2. उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ, जिला सीकर, राजस्थान।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर दिनांक 05.08.2022

उपस्थित—

1. वकील अपीलान्ट श्री हरलाल सिंह
2. रेस्पों. नं. 1 व 2 की ओर से श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

अपील संख्या 113/2022 जिला सीकर

1. लिछमन राम पुत्र स्व. श्री बेगाराम, उम्र 70 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम रूल्याणी, तहसील नेछवा, जिला सीकर, राजस्थान।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नेछवा, जिला सीकर राजस्थान।
2. उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ, जिला सीकर, राजस्थान।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी जी दांतारामगढ, जिला सीकर दिनांक 05.08.2022

उपस्थित—

1. वकील अपीलान्ट श्री के.आर. शर्मा,
2. रेस्पो. नं. 1 व 2 की ओर से श्री चन्द्रशेखर, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक —28.06.2023

1. यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 05.08.2022 के खिलाफ दिनांक 05.08.2022 को प्रस्तुत हुई है ।

2. दोनों अपीलों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों मे रखी जावे दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि तहसीलदार नेछवा, जिला सीकर ने पत्र क्रमांकः भू.अ./2022/1086 दिनांक 04.08.2022 के द्वारा रिपोर्ट पेश की गयी। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया कि "भू0अ0 निरीक्षक वृत काछवा व पटवारी हल्का रूल्याणी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में खसरा नम्बर 830 में से आयु0.11 (नये ख0नं0 949/830 रकबा 0.11) व ख.नं. 833 में से 0.05 है0 (नये ख. नं. 951/833 रकबा 0.05 है.) में रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन हो गया। इस रास्ते का प्रस्ताव प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021 में भिजवाया गया था। श्रीमान के संदर्भित पत्रों के क्रम में पुनः मौका निरीक्षण बहमराह वृत गिरदावर व पटवार हल्का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

करने पर रास्ता पुराने खसरा नम्बर 830 में पूर्व प्रस्तावित 0.11 है. के स्थान पर इस खसरे में 0.0760 है. में ही विधमान है व रास्ते का शेष भाग खसरा नं. 826/2 रकबा 0.0340 है. में है। यह रास्ता आस पास की ढाणियों व खेतों में आवाजाही के काम आ रहा है। वर्तमान रास्ते की नक्शा ट्रेस संलग्न है। अतः पूर्व में प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021 में भिजवाये गये प्रस्ताव में आंशिक संशोधन कर रास्ते का अंकन पुराने खसरा नं. 830 के रकबा 0.11 है. के स्थान पर खसरा नं0 830 (पुराने) में रकबा 0.0760 है. व खसरा नं0 826/2 में रकबा 0.0340 है. में रास्ते के अंकन हेतु नियमानुसार संशोधित आदेश जारी करने बाबत रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ को प्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर ने तहसीलदार नेछवा द्वारा प्राप्त रिपोर्ट/प्रस्ताव के आधार पर नजरी नक्शे के अनुसार ग्राम रूल्याणी के खसरा नम्बर 830 में रकबा 0.0760 हैक्टेयर भूमि तथा खसरा नम्बर 826/2 में रकबा 0.0340 हैक्टैयर भूमि रास्ते हेतु दर्ज होकर किस्म परिवर्तित कर उक्त रकबे का अंकन संबधित खातेदार के खाते में राजस्व रिकार्ड में पृथक नम्बर दिया जाकर रकबे सहित गैर मुमकिन रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने व तदानुसार ही नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये गये। रिपोर्ट तहसीलदार नेछवा क्रमांकःभू.अ./2022/1086 दिनांक 04.08.2022 एवं संलग्न नजरी नक्शा निर्णय के विभिन्न अंग रखने के आदेश पारित किये गये।

3. उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.08.2022 से व्यथित होकर दोनों अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर दिनांक 05.08.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के दोनों योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट आराजी खसरा नम्बर 830 रकबा 8.47 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 826/2 रकबा 5.4000 हैक्टेयर राजस्व ग्राम रूल्याणी, पटवार हल्का रूल्याणी, तहसील नेछवा, जिला सीकर राजस्थान के खातेदार काश्तकार है। अपीलार्थी भूमि पर काबिज व भूमि का उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर ने अपने पूर्व में आदेश दिनांक 27.10.2022 में यह अंकन किया कि मौके पर सडक/रास्ता/कदीमी, कदीमी रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु प्रकरण प्राप्त होने पर रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण प्रकरण के तहत तहसीलदार नेछवा, जिला सीकर द्वारा भिजवाई गई रिपोर्ट के अनुसार भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार किया जावे व संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट ग्राम रूल्याणी, तहसील नेछवा में अंकित दर्ज खातेदारी भूमि में प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ते का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा भूमि मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिपोर्ड व राजस्व नक्शा आदेश का भाग रहेगा। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदार की खातेदारी में दर्ज रहेगी, तहसीलदार नेछवा से प्राप्त प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस उक्त आदेश का भाग रहेगा। उपरोक्त आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने पूर्व में माननीय न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 99/2022 प्रस्तुत की थी, जिसके पश्चात अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा पुनः रिपोर्ट लेकर तथा खातेदारों को सुनकर मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं होना मानकर तथा खातेदार द्वारा रास्ता काटने की सहमति नहीं दिये जाने के कारण पूर्व में कारित आदेश दिनांक 27.01.2022 के आदेश को निरस्त कर दिया, तथा पूर्व की स्थिति को बहाल करने के आदेश पारित कर दिये। तत्पश्चात प्रकरण में कोई विवाद शेष नहीं रहने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा अपील संख्या 99/2022 जो माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन थी, उसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.2022 के पश्चात दिनांक 26.07.2022 को अपील में किसी प्रकार का विवाद शेष नहीं रहने के कारण अपील को वापिस ले लिया। अर्थात अपील को विड्रो कर लिया। तहसीलदार नेछवा ने व पटवारी रूल्याणी भूमि खसरा नम्बर 833 के खातेदार से मिली

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

भगत कर पुनः गलत रिपोर्ट तैयार करवा कर तथा अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 830 में रकबा 0.11 हैक्टेयर के स्थान पर रकबा 0.0760 हैक्टेयर रकबा तथा खसरा नम्बर नं. खसरा नम्बर 830 में पूर्व प्रस्तावित रास्ते को कम दर्शाते हुए रास्ते का शेष भाग अपीलार्थी की खसरा नं. 826/2 रकबा 0.0340 हैक्टयर का रकबा बता दिया गया एवं संशोधित आदेश जारी करने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया किस किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध तब तक कोई न्यायिक अथवा अर्द्ध न्यायिक आदेश पारित नहीं किया जा सकता, जब तक की उसे सुनवाई हेतु अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता। मौजूदा प्रकरण में अपीलार्थी भूमि खसरा नम्बर 830 रकबा 8.47 एवं 826/2 रकबा 5.4000 हैक्टयर ग्राम रूल्याणी, तहसील नेछवा के रिकोर्डेड काबिज खातेदार का तकार है तथा राजस्व रिकोर्ड में उपरोक्तानुसार भूमि उनके नाम अंकित है। भूमि पर उनका कब्जा है, तथा भूमि का वो उपयोग व उपभोग करते है, उपरोक्त भूमि पर अपीलार्थी की फसल खडी है, इसके बावजूद उक्त भूमि में से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि तहसीलदार नेछवा द्वारा जो रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत की गई थी, वो किसी विधिक आधार पर आधारित नहीं थी, बल्कि राजनैतिक व्यक्ति के प्रभाव में आकर झूंठी रिपोर्ट हल्का पटवारी व तहसीलदार से बनवाई थी। जिसकी अधिनस्थ न्यायालय को पूर्ण जानकारी थी, क्योंकि पूर्व में भी पटवारी हल्का रूल्याणी में व तहसीलदार द्वारा मनगढन्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 830 में से 0.11 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 826/2 में रकबा 0.0340 हैक्टेयर में रास्ता होना अंकित किया, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हल्का पटवारी व तहसीलदार व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजनैतिक प्रभाव में आकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जबकि अपीलार्थी की भूमि में से न तो कभी रास्ता रहा है, तथा ना ही आज वर्तमान में कायम है। विद्वान एस.डी.ओ. ने अपीलान्ट को बिना कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एक पक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का जो एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया एक पक्षीय, क्षेत्राधिकार–विहिन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। तथा किसी भी कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार 131, 132 भू–राजस्व अधिनियम एवं लैण्ड रेवेन्यू रिकार्ड रूल्स, 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 के अन्तर्गत किसी खातेदार काबिज रिकॉर्डेड काश्तकार की भूमि से राजस्व रिकार्ड तथा मौके पर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज नहीं कर सकती है। खातेदार काबिज काश्तकार को बिना कोई नोटिस जारी किये ही तथा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एक पक्षीय रूप से कोई कदीमी रूप से चालू व स्थाई या कच्चा रास्ता चालू नहीं होते हुये भी राजस्व रिकार्ड एवं नजरी नक्शे में खातेदार काबिज व्यक्ति की कृषि भूमि में से गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दिया जावे, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस पहलू पर कोई विचार न कर निर्णय देने में सरासर कानूनी भूल की है। भूमि खसरा नम्बर 830 एवं खसरा नम्बर 826/2 में से जहां वर्तमान में रास्ता दर्शाया गया है, वहां कभी कोई रास्ता नहीं रहा तथा उस तथ्य का स्वंय अधिनस्थ न्यायालय ने माना है तथा अपीलार्थीगण द्वारा आपत्ति दर्ज करवाये जाने के प चात आदेश दिनांक 22.07.2022 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में पूर्व में पारित आदेश दिनांक 27.01.2022 को निरस्त कर दिया था। इसके बावजूद किन्हीं व्यक्तियों व राजनैतिक व्यक्तियों के प्रभाव में आकर हल्का पटवारी व तहसीलदार की गलत रिपोर्ट के आधार प्रशासन गांवों के संग अभियान का तथ्य अंकित करते हयु अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में आपत्ति दर्ज करवाये जाने के बाद पूर्व में पारित रास्ता कायम करने के आदेश दिनांक 22.07.2022 का निरस्त कर दिया था। उसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई नोटिस दिये तहसीलदार व पटवारी की गलत रिपोर्ट पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.08.2022 पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.08.2022 को निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर ने तहसीलदार नेछवा द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर नजरी नक्शे के अनुसार ग्राम रूल्याणी के खसरा नम्बर 830 में रकबा 0.0760 हैक्टेयर भूमि तथा खसरा नम्बर 826/2 में रकबा 0.0340

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टैयर भूमि रास्ते हेतु दर्ज होकर किस्म परिवर्तित कर उक्त रकबे का अंकन संबंधित खातेदार के खाते में राजस्व रिकार्ड में पृथक नम्बर दिया जाकर रकबे सहित गैर मुमकिन रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दामद किये जाने व तद्नुसार ही नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये गये । रिपोर्ट तहसीलदार नेछवा क्रमांकःभू.अ./2022/1086 दिनांक 04.08.2022 एवं संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का भाग रखने के आदेश पारित किये गये हैं। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा निर्णय दिनांक 05.08.2022 के तहत फैसल रास्ता, पूर्व से ही मौके पर विद्यमान था। रास्ता के ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए जिसमें तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत रास्ता को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। अपीलार्थी के खसरा नम्बर 830 व 826/2 राजस्व ग्राम रूल्याणी, पटवार हल्का रूल्याणी, तहसील नेछवा, जिला सीकर में जिस खसरा से रास्ता फैसल हुआ है, उसमें रास्ते के रकबे को अपीलार्थी की खातेदारी से पृथक नहीं किया गया है, केवल मौका स्थितिनुसार रास्ता का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। उनका कहना है कि मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे, जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व तहसीलदार नेछवा, जिला सीकर ने पत्र क्रमांकः भू.अ./2022/1086 दिनांक 04.08.2022 के द्वारा रिपोर्ट पेश की गयी। तहसीलदार नेछवा ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया कि "भू0अ0 निरीक्षक वृत काछवा व पटवारी हल्का रूल्याणी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में खसरा नम्बर 830 में से 0.11 (नये ख0नं0 949/830 रकबा 0.11 है0) व ख.नं. 833 में से 0.05 है0 (नये ख.नं. 951/833 रकबा 0.05 है.) में रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन हो गया था। इस रास्ते का प्रस्ताव प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में भिजवाया गया था। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के संदर्भित पत्रों के क्रम में पुनः मौका निरीक्षण बहमराह वृत गिरदावर व पटवार हल्का से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पुराने खसरा नं0 830 में पूर्व प्रस्तावित 0.11 है0 के स्थान पर इस खसरे में 0.0760 है0 में ही विधमान है व रास्ते का शेष भाग खसरा न0 826/2 रकबा 0.0340 है0 में है। यह रास्ता आस पास की ढाणियों व खेती में आवाजाही के काम आ रहा है। वर्तमान रास्ते का नक्शा ट्रेस सलंग्न किया गया। अतः पूर्व में प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 भिजवाये गये प्रस्ताव में आंशिक संशोधन कर रास्ते का अंकन पुरान खसरा नम्बर 830 के रकबा 0.11 है0 के स्थान पर खसरा नं. 830 (पुराने) में रकबा 0.0760 है0 व खसरा न0 826/2 में रकबा 0.0340 है0 में रास्ते के अंकन हेतु नियमानुसार संशोधित आदेश जारी करने बाबत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर को प्रस्ताव प्रेषित किया गया। तहसीलदार नेछवा जिला सीकर के प्रस्ताव दिनांक 04.08.2022 के अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 के प्रावधानुसार ग्राम रूल्याणी पटवार मण्डल रूल्याणी, तहसील नेछवा जमाबंदी संवत 2076–2079 के खसरा नम्बर 830 में रकबा 0.0760 हैक्टेयर भूमि तथा खसरा नम्बर 826/2 में रकबा 0.0340 हैक्टेयर भूमि रास्ते को किस्म परिवर्तित कर दर्ज किये जाकर संबंधित खातेदार के खाते में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने व तदनुसार ही नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये गये। रिपोर्ट तहसीलदार मय नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगें। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा निर्णय दिनांक 05.08.2022 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्ता को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। अपीलार्थी के खेत खसरा नम्बर 830 रकबा 8.47 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 826/2 रकबा 5.4000 हैक्टेयर में जिस खसरा से रास्ता फैसल हुआ है, उसमें रास्ते के रकबा को अपीलार्थी की खातेदारी से पृथक नहीं किया गया है, केवल मौका स्थितिनुसार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

Scanned with OKEN Scanner

रास्ता का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे, जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है,, जो उचित एवं विधिसम्यक है तथा अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर दिनांक 05.08.2022 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/6/23

(असलम शेर खान)
अति.संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर